संख्या-505/2020/3008/22-2-2019-17(418)/2018

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 26 नवम्बर, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गफूर पुत्र श्री गफ्फार, निवासी जनपद-बिजनौर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35064/प्रोवेशन-3/फार्म-ए(एम-19.09.2019) दिनांक-03.12.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गफूर पुत्र श्री गफ्फार, झलरा, थाना-कोतवाली शहर, जनपद-बिजनौर का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 13.10.1999 को अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, डण्डों व तमंचे से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-808/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307, 504, 506 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-01, बिजनौर के आदेश दिनांक 18.02.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.12.2016 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 05.09.2019 तक 14 वर्ष 07 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 01 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, रिहा होने पर पुन: अपराध घटित कर सकने, घटना को लेकर दोनों पक्षों में रस्साकसी की स्थिति बनी रहने से गांव में तनाव व्याप्त हो सकता है व सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 13.10.1999 को अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी डण्डों व तमंचों से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, रिहा होने पर पुन: अपराध घटित कर सकता है, का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी गफूर पुत्र श्री गफ्फार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति** नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी गफूर (बन्दी संख्या-41717) पुत्र श्री गफ्फार, निवासी जनपद-बिजनौर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-505/2020/3008(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-505/2020/3008/22-2-2019-17(418)/2018

दिनांक 26 नवम्बर, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गफूर पुत्र श्री गफ्फार, झलरा, थाना-कोतवाली शहर, जनपद-बिजनौर का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 13.10.1999 को अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, डण्डों व तमंचे से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-808/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307, 504, 506 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-01, बिजनौर के आदेश दिनांक 18.02.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.12.2016 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 05.09.2019 तक 14 वर्ष 07 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 01 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, रिहा होने पर पुन: अपराध घटित कर सकने, घटना को लेकर दोनों पक्षों में रस्साकसी की स्थिति बनी रहने से गांव में तनाव व्याप्त हो सकता है व सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 13.10.1999 को अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी डण्डों व तमंचों से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, रिहा होने पर पुन: अपराध घटित कर सकता है, का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी गफूर पुत्र श्री गफ्फार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति** नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in